



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03012023-241636
CG-DL-E-03012023-241636

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5916]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 30, 2022/पौष 9, 1944

No. 5916]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 30, 2022/PAUSHA 9, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 2022

का.आ. 6159(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 3543 दिनांक 29 जुलाई 2022, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा मध्य प्रदेश राज्य के उज्जैन जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग कर्मांक 752D (पुराना 148 एन जी) के कि.मी. 13.500 से कि.मी. 29.800 उज्जैन गरोठ खण्ड (ग्रीनफिल्ड अलाइनमेंट) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चोड़ाकरने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "05 अगस्त 2022" को "दैनिक भास्कर" और "फ्री प्रेस" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

मध्य प्रदेश राज्य के उज्जैन जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग कर्मांक 752D (पुराना 148 एन जी) के कि.मी. 13.500 से कि.मी.29.800 उज्जैन गरोट खण्ड (ग्रीनफिल्ड अलाइनमेंट) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: मध्य प्रदेश			जिले का नाम: उज्जैन		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: घटिया				
	गांव का नाम: कालियादेह				
1	153/3	निजी	सिंचित	0.301	रइसा बी पति मुंशी एवं इरफान पिता मुंशी (153/3)
	गांव का नाम: कमेड़				
2	333/3	निजी	सिंचित	0.012	अर्जुनसिंह पिता नागुसिंह धीरजसिंह पिता प्रतापसिंह महिपाल सिंह पिता डूंगरसिंह भरतकुमार पिता हीरालाल (333/3/2)
3	391/4min-1	निजी	सिंचित	0.383	संगीताबाई पति संतोष (391/4/5/1)
	गांव का नाम: शंकरपुर जागीर				
4	327/1	निजी	सिंचित	0.01	पूजा पति पवन मेहता और दिलीप कुमार बोहरा पिता नरेंद्र कुमार बोहरा (327/1)
5	327/2	निजी	सिंचित	0.04	विवेक पिता एस एन जयसवाल (327/2)
6	327/3/1	निजी	सिंचित	0.05	रचना पति विवेक जायसवाल (327/3/1)
7	61/1	निजी	सिंचित	0.03	ओमप्रकाश पिता मोती (61/1)
8	81/3	निजी	सिंचित	0.14	शारदाबाई पति अशोक (81/3)

9	81/4	निजी	सिंचित	0.46	रामचंद्रपिता देवा (81/4)
10	86/3	निजी	सिंचित	0.15	अशोक पिता ग्यारसीलाल (86/3)
गांव का नाम: तुलाहेड़ा					
11	152/1, 152/2	निजी	सिंचित	0.004	शक्तिसिंह पिता राजेन्द्रसिंह (152/1,152/2)
12	153	सरकारी	असिंचित	0.048	शासकीय रास्ता (153)
13	178/1	निजी	सिंचित	0.007	कमल पिता बट्टीलाल (178/1/1)
14	185/3	निजी	सिंचित	0.22	अंतरलाल पिता अम्बाराम (185/3/1)
15	20	निजी	सिंचित	0.002	भौमसिंह पिता उदयसिंह (20/1)
16	29	निजी	सिंचित	0.015	प्रेमकुंवर पति शंकरसिंह (29/1)
17	30/2/1	निजी	सिंचित	0.021	सुमेरसिंह पिता सुरसिंह (30/2/1/1/1/1)
18	39/8	निजी	सिंचित	0.251	रुखमाबाई पत्नी रामेश्वर (39/8/1)
19	5/1/1	निजी	सिंचित	0.053	मनोहरलाल पिता रतनलाल (5/1/1/1)
गांव का नाम: उटेशरा					
20	134/1	निजी	असिंचित	0.24	चंदाबाई पति बाबूलाल (134/1)
21	134/3	निजी	सिंचित	0.08	बालू पिता सिद्धू (134/3)
22	157/2	निजी	सिंचित	0.014	बाबूलाल पिता भेरूलाल (157/2/1)
23	167	निजी	सिंचित	0.012	राजेन्द्रसिंह पिता गोकुलसिंह (168/1)
24	168	निजी	सिंचित	0.006	राजेन्द्रसिंह पिता गोकुलसिंह (168/1)
25	169/2	निजी	सिंचित	0.009	राजेन्द्रसिंह पिता गोकुलसिंह

					(169/2/1)
26	216	निजी	सिंचित	0.003	मैदानसी किताबना बाई मैदानबाई पिता नानूसी (216/1)
27	321	निजी	असिंचित	0.003	राधारानी पति मयाराम (321)
28	322	निजी	सिंचित	0.002	चंदाबाई पति बाबूलाल (322)
29	330/2	निजी	सिंचित	0.04	उस्मान राजा रईस फारुक नसीम पिता मुंशी (330/2/1)
30	333	सरकारी	असिंचित	0.009	शासकीय (333)
31	336	निजी	सिंचित	0.003	इंदरसिंह पिता लक्ष्मणसिंह (336/2)
32	337	निजी	सिंचित	0.008	गोरधन ओंकार पिता पन्नालाल कमलाबाई पिता पन्नालाल (337/2)
33	339	निजी	सिंचित	0.007	मलकाबाई पति इसाक (339/2)
34	340/1	निजी	सिंचित	0.008	मलकाबाई पति इसाक (340/1/2)
			कुल	2.6410	

[फा. सं. NHAI\PIU\Ujjain\LA Notification\2019\3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 29th December, 2022

S.O. 6159(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, 3543 (E) dated 29 July 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH752D (Old 148 NG) on the stretch of land from Km 13.500 to Km 29.800 Ujjain Garoth (Green field allignment) in the district of UJJAIN in the state of MADHYA PRADESH

And whereas the substance of the said notification has been published in “Dainik Bhaskar” and “Free Press” both dated 05 August 2022; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas No any objections received received by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH752D (Old 148 NG) on the stretch of land from Km 13.500 to Km 29.800 Ujjain Garoth (Green field alignment) in the district of UJJAIN in the state of MADHYA PRADESH

State: MADHYA PRADESH			District: UJJAIN		
Sr. NO.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No:
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Ghatiya				
	Viilage: Kaliyadeh				
1	153/3	Private	Irrigated	0.301	Raisa Bee W/o Munshi and Irfaan S/o Munshi 153/3
	Viilage: Kamed				
2	333/3	Private	Irrigated	0.012	Arjunsingh S/o Nagusingh Dhirajsingh S/o pratapsingh Mahipal singh S/o Dungarsingh Bharatkumar S/o Hiralal 333/3/2
3	391/4min-1	Private	Irrigated	0.383	Santoshbai W/o Santosh 391/4/5/1
	Viilage: Shankarpur Jagir				
4	327/1	Private	Irrigated	0.01	Pooja W/o Pawan Mehta and Diip Kunmar Bohra S/o Narendra Kumar Bohra 327/1
5	327/2	Private	Irrigated	0.04	Vivek S/o S N Jaysawal 327/2
6	327/3/1	Private	Irrigated	0.05	Rachna W/o Vivek Jaysawal 327/3/1
7	61/1	Private	Irrigated	0.03	Omprakash S/o Moti 61/1
8	81/3	Private	Irrigated	0.14	Shardabai W/o Ashok 81/3

9	81/4	Private	Irrigated	0.46	Ramchandra S/o Dewa 81/4
10	86/3	Private	Irrigated	0.15	Ashok S/o Gyarsilal 86/3
	Village: Tulaheda				
11	152/1, 152/2	Private	Irrigated	0.004	Shaktisingh S/o Rajendrasingh 152/1,152/2
12	153	Government	Non irrigated	0.048	Government Rasta 153
13	178/1	Private	Irrigated	0.007	Kamal S/o Badrilal 178/1/1
14	185/3	Private	Irrigated	0.22	Antarlal S/o Ambaram 185/3/1
15	20	Private	Irrigated	0.002	Bhounsingh S/o Udaysingh 20/1
16	29	Private	Irrigated	0.015	Premkunwar W/o Shankarsingh 29/1
17	30/2/1	Private	Irrigated	0.021	Sumersingh S/o Suresingh 30/2/1/1/1/1
18	39/8	Private	Irrigated	0.251	Rukhmabai W/o Rameshwar 39/8/1
19	5/1/1	Private	Irrigated	0.053	Manoharlal S/o Ratanlal 5/1/1/1
	Village: Utesara				
20	134/1	Private	Non Irrigated	0.24	Chandabai W/o Babulal 134/1
21	134/3	Private	Irrigated	0.08	Balu S/o Siddhu 134/3
22	157/2	Private	Irrigated	0.014	Babulal S/o Bherulal 157/2/1
23	167	Private	Irrigated	0.012	Rajendrasingh S/o Gokulsingh 168/1
24	168	Private	Irrigated	0.006	Rajendrasingh S/o Gokulsingh 168/1
25	169/2	Private	Irrigated	0.009	Rajendrasingh S/o Gokulsingh 169/2/1
26	216	Private	Irrigated	0.003	Maidansi Kitabna bai Maidanbai D/o Nanusi 216/1
27	321	Private	Non Irrigated	0.003	Radharani W/o Mayaram 321
28	322	Private	Irrigated	0.002	Chandabai W/o Babulal 322
29	330/2	Private	Irrigated	0.04	Usmaan Raja Rais Faruk Nasim S/o munshi 330/2/1
30	333	Government	Non Irrigated	0.009	Government 333
31	336	Private	Irrigated	0.003	Indarsingh S/o laxmansingh

					336/2
32	337	Private	Irrigated	0.008	Gordhan Onkar S/o Pannalal Kamlabai S/o Pannalal 337/2
33	339	Private	Irrigated	0.007	Malkabai W/o Isak 339/2
34	340/1	Private	Irrigated	0.008	Malkabai W/o Isak 340/1/2
			TOTAL	2.641	

[F. No. NHAI\PIU\Ujjain\LA Notification\2019\3D]

RAJESH GUPTA, Director